प्रेस विज्ञप्ति
05.01.2026

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला ने आश्विनी कंवर (माता) और मनदीप राणा (पुत्र) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार, फर्जी डिग्री घोटाले के मामले में ईडी, शिमला उप आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 03.01.2026 के आदेश द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के धर्मपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर के आधार पर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी राज कुमार राणा ने अपनी पत्नी आशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा सहित अन्य सह-अभियुक्तों की मदद से एजेंटों/छात्रों से पैसे लेकर फर्जी डिग्री बेची। ये फर्जी डिग्री मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन के नाम पर बेची गई और इस फर्जी डिग्री की बिक्री से उत्पन्न अपराध के आगम 387 करोड़ रुपये आँके गए हैं।

इस अवैध गतिविधि से प्राप्त धन का उपयोग राज कुमार राणा, आशोनी कंवर और मनदीप राणा ने अपने नाम पर और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न चल और अचल संपत्तियां के अधिग्रहण के लिए किया। ईडी ने इस मामले में अब तक 200 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है और कुर्क की पुष्टि माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा की गई है।

इस मामले में इससे पहले, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत राज कुमार राणा, आशोनी कंवर, मनदीप राणा और अन्य सहित 14 व्यक्तियों और 02 संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दर्ज की थी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 04.01.2023 को पीसी पर संज्ञान लिया और आशोनी कंवर और मनदीप राणा को समन जारी किए, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया। इसके अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा 04.11.2023 को आशोनी कंवर और मनदीप राणा के खिलाफ खुली गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।

इसके अलावा, जांच के दौरान यह पता चला कि आशोनी कंवर और मनदीप राणा दोनों मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद देश से भाग गए थे और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। दोनों व्यक्तियों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वे कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा, दोनों आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन दोनों आरोपियों ने आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया।

तदनुसार, एफईओए, 2018 के तहत ईडी, शिमला उप-आंचलिक कार्यालय द्वारा एफईओए, 2018 की धारा 4 के अनुसार एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें आशोनी कंवर और मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई थी और इसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) शिमला द्वारा दिनांक 03.01.2026 के अपने आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

आगे की जांच जारी है।



आशोनी कँवर



मंदीप राणा